न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम(अलवर)

दावा संख्याः– 50/18

हुकमचन्द बनाम रामबीर

05.04.2018

प्रार्थी मय वकील उपस्थित। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण जर्ये रजिस्ट्रर्ड तलबाने से तलब किया जावे। आयन्दा पत्रावली दिनांक 16.05.2018 को हो।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम

पत्रावली पेश हुई। मुकदमा फरीकेन हाजर।
आइन्दा पत्रावली कैम्प कोर्ट/ लोक अदालत में दिनांक 7.5.18 को पेश हो।

एस डी ओ/ रीडर

7/5/18 पत्रावली कैम्प कोर्ट जौंडिया में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी ने वाद आयत सहकारिता को पावन्द करवाने की गुहार पेश किया है। वादी विपक्षीगण का वाद पेश कर विचारित सामग्री का खासमा करता है। वादी द्वारा वाद उपस्थित तथ्यों विषय में पेश किया है तथा एक सहकारिता द्वारा सहकारिता को पावन्द नहीं करा सकता अतः के विभाग को सौंपा जावे। अतः वाद स्वीकृत किया जाता है। पत्रावली नियम अनुसार होकर गन्तव्य से काम हो तथा वाद निराकरण तरीके अख्तियार हो।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner